



रेल मंत्रालय ने ए 1 श्रेणी के स्टेशनों पर युवा स्टेशन निदेशकों की नियुक्ति का फैसला किया

Posted On: 20 SEP 2017 8:14PM by PIB Delhi

रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल द्वारा दिए गए निर्देश के अंतर्गत रेल प्रशासन ने बड़े रेलवे स्टेशनों पर स्टेशननिदेशकों के रूप में युवा, प्रतिभाशाली और ऊर्जावान अधिकारियों की नियुक्ति करने का फैसला किया है। इन अधिकारियों का चुनाव रेलवे के विभिन्न परि
स्टेशन निदेशक यह सुनिश्चित करेंगे कि स्टेशन ग्राहकों के लिए उत्कृष्टता केन्द्र के रूप में कार्य करें। इसके अलावा उच्च व्यावसायिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए पूरी सतर्कता के साथ उत्कृष्ट ग्राहक सेवा प्रदान करना सुनिश्चित किया जाएगा। स्टेशन निदेशक और उनकी टीम के कार्य निम्न होंगे: -

- ग्राहकों को शीघ्रता व विनम्रता के साथ समस्यामुक्त सेवा प्रदान करना
- स्टेशन और स्थिर ट्रैनों पर उचित स्वच्छता और साफ-सफाई
- टिकट खिड़की और आरक्षण कार्यालय में कुशलतापूर्वक कार्य
- स्टेशन पर रेलगाड़ियों के समय की पाबंदी, प्लेटफार्मे पर रेल का सही समय पर आगमन और प्रस्थान
- स्टेशन पर सभी यात्री सुविधाओं का उचित रखरखाव
- यात्री पृष्ठताछ प्रणाली और प्रदर्शन बोर्ड का उचित रखरखाव
- पार्सल कार्यालय द्वारा कुशलता व पारदर्शिता के साथ ग्राहक को सेवा उपलब्ध कराना
- स्टेशन पर खानपान व अन्य स्टालों की निगरानी
- शिकायत का तत्काल निवारण
- यात्रियों की सुरक्षा
- स्टेशन को ग्राहक के लिए एक उत्कृष्ट सेवा केन्द्र बनाने हेतु कोई भी अन्य सेवा/सुविधा उपलब्ध कराना।

इन कार्यों को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए स्टेशन निदेशकों को रेलवे की विभिन्न विभागीय टीमों का सहयोग मिलेगा। 'यातायात सुविधा' और 'यात्री सुविधा' से संबंधित निर्णय लेने की प्रक्रिया में स्टेशन निदेशकों को शामिल किया जाएगा। गैर-किराया मद से आमदनी के तहत स्टेशन के व्यावसायिक इस्तेमाल से संबंधित निर्णयों में स्टेशन निदेशक का सक्रिय सहयोग लिया जाएगा। इसके लिए स्टेशन निदेशक अपने वरिष्ठ अधिकारियों से सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। ए 1 श्रेणी के कुछ स्टेशन हैं- नई दिल्ली, देहरादून, हावड़ा, सीएसटी मुंबई, विशाखापट्टनम, मुगलसराय जंक्शन, आगरा कैंट, न्यू जलपाईगुड़ी, जोधपुर, खड़गपुर, तिरुवनंतपुरम, चेन्नई सेंटरल, बेंगलूर सिटी, हैदराबाद आदि। पूरी सूची के लिए कृपया नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।

<http://pibphoto.nic.in/documents/rlink/2016/nov/p201611202.pdf>

वीके/जेके/डीके - 3852

(Release ID: 1503520) Visitor Counter : 10

